श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 15.02.2025 (शनिवार) को 10:30 बजे पूर्वा0 से प्रमंडलीय सभागार, कोशी प्रमंडल, सहरसा में आयोजित आंतरिक संसाधन, राजस्व, विकास एवं अभियंत्रण विभागों से संबंधित प्रमंडलीय समन्वय की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात उपस्थित पदाधिकरियों से परिचय प्राप्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जो निम्न प्रकार है :–

1. राजस्व संग्रहण :–

राजस्व संग्रहण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नगर परिषद्, सुपौल की राजस्व वसूली विभागीय लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 26.68 प्रतिशत है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुपौल वित्तीय वर्ष के अंत तक विभागीय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रमंडल अन्तर्गत राजस्व संग्रहण से संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारी वित्तीय वर्ष के अंत तक विभागीय लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।

2. विद्युत :–

प्रमंडल अन्तर्गत निर्माणाधीन सभी विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर विद्युत योजना के तहत् उपभोक्ताओं को आच्छादित करने में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।

3. मद्य निषेध :–

प्रमंडल अन्तर्गत मद्य निषेध विभाग द्वारा जब्त किये गये सभी वाहनों का नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

4. निबंधन :–

जिला अवर निबंधक, सहरसा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अनुमंडल निबंधन कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर का भवन अत्यंत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, साथ ही इस कार्यालय को अत्यंत कम जगह उपलब्ध है। उनके द्वारा कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि की अधियाचना की गई है, जो अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जिला अवर निबंधक, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि की अधियाचना यथाशीघ्र जिलाधिकारी, सहरसा को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, सिमरी बख्तियारपुर के माध्यम से उक्त अधियाचना के विरूद्ध उपयुक्त भूमि चिह्नित करते हुए प्रस्ताव प्राप्त कर भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. परिवहन :–

(i) मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (11 वॉ चरण) :– इस योजना के तहत् सहरसा जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य 68 के विरूद्ध कुल 112 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 19 आवेदन स्वीकृत किये गये है तथा मात्र 01 वाहन क्रय किया गया है। मधेपुरा जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य 202 के विरूद्ध कुल 178 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 62 आवेदन स्वीकृत किये गये है तथा 30 वाहन क्रय किया गया है। सुपौल जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य 1264 के विरूद्ध कुल 1215 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 49 आवेदन स्वीकृत किये गये है तथा वाहन क्रय का प्रतिशत 96.68 है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, सहरसा तथा मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगें।

(ii) मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (द्वितीय चरण) :– इस योजना के तहत् सहरसा जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य 63 के विरूद्ध कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 28 आवेदन स्वीकृत किये गये है तथा मात्र 01 वाहन क्रय किया गया है। मधेपुरा जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य 83 के विरूद्ध कुल 24 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें 24 आवेदन स्वीकृत किये गये है तथा मात्र 01 वाहन क्रय किया गया है। सुपौल जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य 70 के विरूद्ध कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें शून्य आवेदन स्वीकृत किये गये है तथा वाहन क्रय का प्रतिशत शून्य है।

प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

(ii) परिवहन विभागीय दिशा निदेश के आलोक में स्कूलों में बच्चों के परिवहन में ऑटो/ई–रिक्शा के उपयोग को पूर्णतः प्रबंधित करने की दिशा में संबंधित पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

5. भू–अर्जन :–

प्रमंडल अन्तर्गत सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए अर्जित रैयती भूमि के मुआवजे का भुगतान संबंधित रैयतों को यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे। सभी अपर समाहर्त्ता इसका अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

6. राजस्व :–

प्रमंडल अन्तर्गत सभी सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया जाता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं के लिए अधियाचित उपयुक्त भूमि संबंधित विभागों को हस्तांतरण के सभी लंबित मामलों का निष्पादन एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत सरकार भवन :–

कार्यपालक अभियंता, स्था0 क्षे0 अभि0 संगठन, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि महिषी प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत महिषी दक्षिणी में निर्माण होने वाले पंचायत सरकार भवन के लिए उपलब्ध करायी गई भूमि में काफी जल जमाव है, जिसके कारण निर्माण कार्य संभव नहीं हो पा रहा है।

जिलाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि किसी वरीय पदाधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर महिषी दक्षिणी में निर्माण होने वाले पंचायत सरकार भवन के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

8. भवन निर्माण विभाग :–

अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि पूर्व से क्रियान्वित सभी योजनाओं के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में किये गये घोषणाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सभी कार्रवाई त्वरित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे।

9. कल्याण :–

जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि जिला के कहरा प्रखंड अन्तर्गत भीम राव अम्बेडकर छात्रावास के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की अधियाचना समाहर्त्ता, सहरसा से करेंगे तथा जिलाधिकारी, सहरसा इसके लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10.ग्रामीण कार्य विभाग :–

भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद कई ऐसे मामले आते है, जिसमें स्थानीय व्यक्ति सड़क निर्माण में रैयती भूमि होने का दावा करते हुए निर्माण कार्य को बाधित करते है। सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ऐसे मामलों का स्थलीय जॉच करवाकर निदान करवाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

11.पूर्वी कोशी तटबंध :–

अधीक्षण अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध, चन्द्रायण तथा कोपरिया को निदेश दिया जाता है कि पूर्वी कोशी तटबंध के जीर्णोद्धार तथा अनुरक्षण से संबंधित सभी आवश्यक कार्य यथाशीघ्र निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0/–
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक– 705 **/** **सहरसा, दिनांक–** 17-2- **2025**

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त आयुक्त –सह– सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/उप निदेशक, पंचायती राज/कल्याण/शिक्षा/सांख्यिकी/खाद्य/खान एवं भू–तत्व/ मत्स्य/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थय सेवाएँ/क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी/उप श्रमायुक्त/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/अपर (राज्यकर) आयुक्त/सहायक महानिरीक्षक निबंधन/संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/उप नियंत्रक माप–तौल, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, भवन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सिंचाई/पथ निर्माण विभाग/विद्युत/स्था0 क्षेत्र अभि0 संगठन/लघु जल संसाधन/पूर्वी कोशी तटबंध, चन्द्रायण/कोपरिया, अंचल, सहरसा/राष्ट्रीय उच्च पथ, अंचल पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा/सिविल सर्जन/जिला परिवहन पदाधिकारी/उत्पाद अधीक्षक/जिला अवर निबंधक/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सहरसा/मधेपुरा/सुपौल/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajek.
17/2/2025
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।